कार्यालय वनमंडलाधिकारी,पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2021/ 4230 छिन्दवाड़ा दिनांक 28/10/2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
छिन्दवाड़ा वन वृत्त
छिन्दवाड़ा

विषय :— वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पश्चिम छिन्दवाड़ा सामान्य वनमंडल के परासिया वन परिक्षेत्र अंतर्गत ब्रम्हपुरी कोयला खदान में आरक्षित वन भूमि 32.475 हे0 , संरक्षित वन भूमि 29.181 हे. एवं राजस्व वन भूमि 88.442 हे. कुल 150.098 हे0 वनभूमि में भूमिगत उत्खनन का मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड सतना के पक्ष में प्रत्यावर्तन प्रस्ताव। Online Proosal FP/MP/MIN/51637/2020

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक 5999 दिनांक 26.10.2021 एवं मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड का पत्र क्रमांक 11/2021 दिनांक 07.06.2021 एवं 28 दिनांक 27.10.2021

— ✠✠✠ —

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा के वनपरिक्षेत्र परासिया के वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 710, पी 730 ए, पी 730 बी रकबा 61.656 हे0 एवं राजस्व वन भूमि रकबा 88.442 हे0 कुल रकबा 150.098 हे0 में ब्रम्हपुरी भूमिगत कोल ब्लाक हेतु प्रकरण प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/51637/2020 से ऑनलाईन किया गया है।

संदर्भित पत्र क्रमांक 5999 दिनांक 26.10.2021 से 4 बिंदुओं में कमियां/त्रुटियों की पूर्ति हेतु लेख किया गया था , मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 4 बिंदुओं में कमियां/त्रुटियों की पूर्ति कर प्रस्ताव आपकी ओर 4 प्रतियों (हार्डकापी) में संलग्न सम्प्रेषित हैं।

सहपत्र :— उपरोक्तानुसार।

28.10.21
वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि/2021/ 4231 छिंदवाड़ा, दिनांक/ 28/10/2021

प्रतिलिपि :— मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड, इंडस्ट्रीज हाउस 2, फ्लोर 159, चर्चगेट रिक्लिमेशन मुंबई ,महाराष्ट्र की ओर पत्र क्रमांक 28 दिनांक 27.10.2021 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।

28.10.21
वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

Dfo_West//Shoaib//cover 2021

MP BIRLA GROUP

Birla Corporation Limited
Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India
P1 +91 22 4343 5400
P2 +91 22 2204 3615

Ref. No./BCL/Brahampuri/FC/28 Date 27.10.2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी महोदय,
पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल (सा.),
जिला–छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।

मा.चि.
व. मं. अ.
पश्चिम छि. (सा.)
28/10/21

विषय :– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् पश्चिम छिन्दवाड़ वनमण्डल के परासिया वनपरिक्षेत्र अंतर्गत ब्रम्हपुरी कोयला खदान में आरक्षित वनभूमि 32.475 हे., संरक्षित वनभूमि 29.181 हे. एवं राजस्व वनभूमि 88.442 हे., कुल 150.098 हे. वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन का मेसर्स बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में प्रत्यावर्तन प्रस्ताव का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक एफपी/एमपी/एमआईएन/51637/2020

संदर्भ :– मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, छिन्दवाड़ा वनवृत्त का पृ.क्रमांक/मा.चि./6000 दिनांक 26.10.2021 एवं आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./5675 दिनांक 27.10.2021

महोदय,

विषयांकित संदर्भित पत्र के माध्यम से ब्रम्हपुरी कोयला खदान के वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, छिन्दवाड़ा वनवृत्त द्वारा 4 बिन्दुओं की कमी होने का लेख किया गया है जिसके परिप्रेक्ष्य में आवेदक संस्थान का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

क्र.	बिन्दु	पालन प्रतिवेदन
1.	प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया है प्रस्तावित स्थल 6 पेंचेस में है अतः स्पष्ट करें कि प्रत्येक पेंचेस की एक दुसरे से दूरी कितनी है एवं प्रस्ताव भूमिगत होने से उनसे कनेक्टिविटी का पर्याय क्या है।	प्रस्तावित क्षेत्र के पेंचेस 1 वनखण्ड 61 थावरी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 710 से पेंचेस 2 पी.एफ. 730ए की दूरी 722.70 मीटर प्रस्तावित क्षेत्र के पेंचेस 2 पी.एफ. 730ए से पेंचेस 3 पी.एफ. 730ए की दूरी 533.60 मीटर प्रस्तावित क्षेत्र के पेंचेस 3 पी.एफ. 730ए से पेंचेस 4 पी.एफ. 730बी की दूरी 152.60 मीटर प्रस्तावित क्षेत्र के पेंचेस 4 पी.एफ. 730बी से पेंचेस 5 पी.एफ. 730बी की दूरी 160 मीटर प्रस्तावित क्षेत्र के पेंचेस 5 पी.एफ. 730बी से पेंचेस 6 पी.एफ. 730बी की दूरी 115 मीटर **कनेक्टिविटी :–** आवेदित क्षेत्र में कोयले का उत्खनन शॉफ्ट तकनिक के माध्यम से किया जाना है। कोयला उत्खनन के समय भूमिगत गलियारों का निमार्ण कर कोयले का उत्खनन किया जायेगा जिससे एक दूसरे से कलेक्टिविटी हो सके।

कार्यालय वनमण्डल ... छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
1493
28/10/21

MP BIRLA GROUP

Birla Corporation Limited
Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India
P1 +91 22 4343 5400
P2 +91 22 2204 3615

		आवेदित क्षेत्र 150.098 हेक्टेयर में से मात्र 3.691 हेक्टेयर (राजस्व वनभूमि) भूमि का सतही उपयोग किया जाना है शेष 146.407 हेक्टेयर (वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि) भूमि का उपयोग भूमिगत रूप में किया जाना है जिसका वनक्षेत्र पर प्रभाव नगण्य रहेगा।
2.	प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।	आवेदक संस्थान द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् कलेक्टर, जिला छिन्वाड़ा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो प्रक्रियाधीन है एवं प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र की प्रति प्रस्ताव में मय वचन पत्र सहित संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा File No. 11-43/2013-FC दिनांक 26 फरवरी 2019 के माध्यम से जारी नोटिफिकेशन में यह उल्लेख किया गया है कि वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के प्रथम चरण की सैद्वांतिक स्वीकृति (In principal approval) प्राप्त करने हेतु एफ.आर.ए. की अनिवार्यता नहीं है किन्तु अंतिम चरण (Stage-2) के पहले एफ.आर.ए. प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा। भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की प्रति संलग्नक–1 पर संलग्न है।
3.	क्या प्रस्तावित एरिया सतपुड़ा–पेंच टाईगर रिजर्व कारीडोर अंतर्गत आता है। प्रस्तावित एरिया को संरक्षित क्षेत्रों से दूरी मार्क करें।	प्रस्तावित एरिया सतपुड़ा–पेंच टाईगर रिजर्व कारीडोर के अंतर्गत नहीं आता है। प्रस्तावित एरिया को संरक्षित क्षेत्रों से दूरी मार्क कर नक्शा संलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।
4.	प्रस्तावित एरिया को वन क्षेत्र के नक्शे पर मार्क कर संलग्न करें।	प्रस्तावित एरिया को वन क्षेत्र के नक्शे पर मार्क कर लिया गया है जो संलग्नक–3 के रूप में संलग्न है।

अतः निवेदन है कि मेसर्स बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ब्रम्हपुरी भूमिगत कोयला खदान के वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में अग्रीम कार्यवाही करने की कृपा करें।

<u>संलग्न</u> :– **उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

Digitally signed by SANDEEP KUMAR JAIN
Date: 2021.10.28 11:40:20 +05'30'

सहायक उपाध्यक्ष (खनन)
मेसर्स बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ब्रम्हपुरी कोयला खदान